

ISSN: 2582-6433



INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary
Peer Reviewed 6th Edition

VOLUME 2 ISSUE 7

www.ijlra.com

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions of the authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume 2 Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsoever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in the Journal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis



IJLRA

EDITORIAL TEAM

EDITORS

Megha Middha



Megha Middha, Assistant Professor of Law in Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar

Megha Middha, is working as an Assistant Professor of Law in Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar (Rajasthan). She has an experience in the teaching of almost 3 years. She has completed her graduation in BBA LL.B (H) from Amity University, Rajasthan (Gold Medalist) and did her post-graduation (LL.M in Business Laws) from NLSIU, Bengaluru. Currently, she is enrolled in a Ph.D. course in the Department of Law at Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Rajasthan). She wishes to excel in academics and research and contribute as much as she can to society. Through her interactions with the students, she tries to inculcate a sense of deep thinking power in her students and enlighten and guide them to

the fact how they can bring a change to the society

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board



Dr. Namita Jain



Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC - NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India. India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020). Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on

March 14th, 2019

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi. Formerly Assistant professor of Law, Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8 Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1 Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration. 10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.



Avinash Kumar



Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship. He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi. Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi. He has qualified UGC - NET examination and has been awarded ICSSR - Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He

participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS

ISSN

2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

“पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण में लोकहितवादों की भूमिका”

अर्चना तिवारी

सार

लोकहितवाद के अभ्युदय से पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण में एक क्रान्ति ला दी। इसके उपरान्त भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुये। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा किया है।

मुख्य शब्द— लोकहितवाद, पर्यावरण प्रदूषण, निवारण, नियंत्रण, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय।

प्रस्तावना

पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण तथा नित उपचार प्रक्रिया के रूप में लोकहितवाद सर्वाधिक जनप्रिय एवं प्रभावकारी प्रक्रिया रहा है। विगत दो दशकों में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन एवं रूपान्तर हुए हैं। विश्व स्तरीय परिवर्तन, विशेषतः अमेरिकन न्यायिक क्रान्ति की तरह भारत में एक नवीन विधिशास्त्र का अभ्युदय हुआ है, जिसे समूह का विधिशास्त्र कहा गया है। इसने भारतीय वादकारिता के प्रारूप को क्रान्तिकारी तौर पर बदल दिया है। यह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि नागरिकों के अधिकार सामाजिक न्याय से घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध रखते हैं। न्याय प्रशासन में निर्धनों, अशिक्षित तथा अनजान लोगों को न्याय दिलाने हेतु सहयोगात्मक भागीदारी की आवश्यकता महसूस की गयी। प्रक्रियात्मक तकनीकीपन को न्याय में बाधक होने से दूर किया जाने लगा। इस नये परिदृश्य को लोकहितवाद का नाम दिया गया। इसमें वाद प्रस्तुत करने अथवा हस्तक्षेप करने के अधिकार की पारम्परिक संकल्पना की कठोरता को त्याग कर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु दूसरों द्वारा संस्थित करने की भी छूट दी गयी।

पर्यावरण प्रदूषण के मामलों में लोकहितवाद की संकल्पना को लागू करते हुए रतलाम म्यूनिसिपल कॉन्सिल बनाम वार्थीचन्द्र¹ के मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अभिमत व्यक्त किया कि “सामाजिक न्याय लोगों को देय है और इसलिए किसी लोकसंस्था में उन हित हेतु निहित अधिकारिता का उन्हें उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए।”

नागरिक हस्तक्षेप अधिकार मामलों के फलस्वरूप देहरादून क्षेत्र में चूना-खदान का कार्य बन्द कर दिया गया दिल्ली में क्लोराइन संयंत्र को लगाना रोक दिया गया और गंगा प्रदूषण करने वाली वर्गशोधनशालाओं को बन्द कर दिया गया। एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ² में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली निवासी व्यक्ति के सरकारी एजेन्सियों की उपेक्षा के कारण उत्पन्न गम्भीर नदी प्रदूषण के विरुद्ध वाद लाने के अधिकार को स्वीकार करते हुए अभिमत व्यक्त किया कि—

“याची गंगा में प्रवाहित जल का प्रयोग करने वाले लोगों के जीवन संरक्षण में दिलचस्पी रखने वाला एक व्यक्ति है और वाद संस्थित करने के उसके अधिकार को विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। गंगा नदी को प्रदूषण से कारित उपताप लोक उपताप है, जो विस्तृत दायो और व्यापक प्रभाव वाला है। समुदाय से भिन्न किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इसे रोकने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने के बारे में आशा करना अयुक्तियुक्त नहीं है। पिटीशन लोकहित वाद के रूप में स्वीकार किया गया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम इस मत के हैं कि पिटीशनकर्ता जल अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोटों और म्यूनिसिपल प्राधिकारियों पर कर्तव्य करने वाले सांविधिक उपबन्धों को प्रवर्तित (लागू कराने हेतु इस न्यायालय में प्रतिवेदन करने का हकदार है।”

न्यायाधीशों ने लोकहित वाद को न्यायालय, नागरिक एवं लोक अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास के रूप में देखा है जिसमें प्रक्रियात्मक बचावों की उपयोगिता समाप्त है और उपचार देने हेतु शिथिलता अपेक्षित है। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रक्रियात्मक विधि की प्रत्येक तकनीकीपन बचाव के रूप में उपलब्ध नहीं है जबकि न्यायालय के समक्ष गम्भीर लोक महत्व का विषय विचाराधीन है लोकहित वाद प्रक्रिया में शिथिलता बरतते हुए उपचार देने का सक्षम माध्यम बन गया है। इसे कई तरह से बढ़ावा दिया गया है।

रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटाइटलमेण्ट केन्द्र देहरादून बनाम उ०प्र०³ राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटाइटलमेण्ट केन्द्र, देहरादून की तरफ से भेजे गये पत्र को संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत रिट पिटीशन के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया। पत्र में आरोप लगाया गया था कि हिमालय की तलहटी और मंसूरी क्षेत्र में अवैधानिक पत्थर चूना खदानों के कारण नाजुक पर्यावरण पर भयावह प्रभाव पड रहा है। उच्चतम न्यायालय ने उ०प्र० राज्य देहरादून के कलेक्टर भारत सरकार, सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों एवं खदान मालिकों की सुनवायी के पश्चात् खदानों को बन्द कर देने का आदेश पारित कर दिया।

महेश आर० देसाई बनाम भारत संघ⁴ के मामले में एक पत्रकार ने उच्चतम न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी कि राष्ट्रीय समुद्रीय तटों पर केन्द्रीय सरकार के निदेशों का उल्लंघन कर अनियोजित विकास के कारण समुद्री तट दूषित हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने पत्र को रिट पिटीशन

के तौर पर पंजीकृत कर उच्चतम न्यायालय की विधिक सहायता समिति से आग्रह किया कि वह किसी अधिवक्ता को पिटीशनकर्ता की तरफ से पैरवी करने हेतु नियुक्त करे और न्यायालय ने भारत सरकार और सभी समुद्री तट वाले राज्यों को नोटिस जारी किया।

डी० पी० भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड⁵ के मामले में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता के निवासियों द्वारा उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण के विरुद्ध लिखे पत्र को अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत लोकहित वाद मानकर 6 उद्योगों को दूसरे स्थान ले जाने का आदेश पारित किया।

लोकहित वाद में प्रक्रियात्मक शिथिलता अनुमत कर उच्चतम न्यायालय ने उपचार प्रदान किया है।

अस्तु श्रीराम गैस रिसाव मामले⁶ में उच्चतम न्यायालय ने असम्बद्ध हेतुकों को बिना याचिका में संशोधन किए स्वीकार कर उपचार दिया। मूल याचिका एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ में श्री एम० सी० मेहता ने श्रीराम परिसंकटमय औद्योगिक संयंत्र के बन्द करने तथा दिल्ली के सघन आबादी वाले क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए आदेश जारी करने हेतु प्रार्थना की थी। मामले के लम्बित रहते संयंत्र से ओलियम जिमत हो गया और कतिपय लोगों को क्षति कारित किया जिन्होंने मूल पिटीशन में प्रतिकर हेतु आवेदन-पत्र दायर किया। श्रीराम कम्पनी की तरफ से दलील दी गयी कि वह प्रतिकर के दावे से सम्बन्धित मुद्दे पर विचार न करे क्योंकि (1) प्रतिकर का दावा मूल पिटीशन में नहीं किया गया था और (2) न पिटीशनकर्ता ने प्रतिकर का दावा सम्मिलित करने के लिए पिटीशन में संशोधन किया था। उच्चतम न्यायालय ने इन आपत्तियों को स्वीकार कर दिया और कहा कि लोकहित वाद के मामलों में न्याय के उद्देश्य को प्रभावहीन बनाने हेतु अति तकनीकी दृष्टिकोण असम्यक् है। उच्चतम न्यायालय ने अनु 32 के क्षेत्र पर विचार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 न्यायालय को आनुषंगिक एवं सम्पूरक शक्ति प्रदान करता है जिसे वह मूल अधिकारों के हेतु नया दृष्टिकोण अपनाकर नया उपचार प्रदान को इसलिए न्यायालय समुचित मामलों में प्रतिकर का आदेश देने के लिए सक्षम है।

पर्यावरणीय प्रदूषण के मामलों में वाद लाने के अधिकार में पर्याप्त शिथिलता बरत कर किसी भी लोकहित भावना से ओत-प्रोत पर्यावरण समर्थक द्वारा लोकहित याचिका स्वीकार की जा रही है। पर्यावरणीय लोकहित वाद के सन्दर्भ में एम०सी० मेहता अभिवक्ता उच्चतम न्यायालय का नाम अपनों रूप में उभर कर आया है और अब वह पर्यावरणीय लोकहित वाद का पर्यायवाची बन गया है। इसी तरह की लोकभावना एवं पर्यावरण संरक्षण को चिन्ता वाले अनेक व्यक्तियों एवं संगठनों ने लोकहित वाद के माध्यम से उपचार प्रदान कराने का प्रयास किया है।

इण्डियन कौंसिल फार इनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ⁷ के मामले में कौंसिल की तरफ से सिल्वर केमिकल्स (आर नं0 5) द्वारा एच एसिड उत्पादन से उत्पन्न लोगों को उत्पन्न होने वाले खतरे की तरफ उच्चतम न्यायालय का ध्यान लोकहित वाद द्वारा आकृष्ट किया गया। यह तर्क दिया गया कि संयंत्र के कारण पृथ्वी जल और सम्पर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु विषैली बन जा रही थी। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को उचित प्रयास कर उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया। एक दूसरे इण्डियन कौंसिल फार इनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (समुद्रतटीय प्रदेश संरक्षण मामला)⁸ में पर्यावरणीय संगठन ने उच्चतम न्यायालय में लोकहित वाद दायर किया कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन कर अवैधानिक एवं अयोजनाबद्ध तरीके से उद्योगों के निर्माण के कारण तटीय क्षेत्रों का पर्यावरण खतरे में पड़ता जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सभी सम्बन्धित लोगों को उपचारात्मक उपाय करने हेतु निर्देश जारी किया।

वेल्लोर सिटीजन्स वेल्फेयर फोरम बनाम भारत संघ⁹ के मामले में तमिलनाडु राज्य में धर्मशोधनशालाओं एवं अन्य उद्योगों से अउपचारित बहिष्काव से कृषि तथा अन्य वस्तुओं को होने वाली क्षति के विरुद्ध फोरम द्वारा लोकहित याचिका दायर की गयी। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को निर्देश जारी किया कि वह भाग व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का योग कर एक प्राधिकारी की नियुक्ति करे जो चर्मशोधनशालाओं और अन्य उद्योगों के कारित प्रदूषण के बारे में उपचारात्मक व्यवस्था करे और पूर्व सावधानी तथा प्रदूषक भुगतान को सिद्धान्तों को लागू करे। उच्चतम न्यायालय ने कई अन्य निर्देश जारी कर 'पर्यावरण संरक्षण निधि' की स्थापना तथा उद्योगों से सहमति प्राप्त करने को सुनिश्चित कराना चाहा।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ¹⁰ के मामले में उच्चतम न्यायालय का ध्यान नर्मदा बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी कमियों को नर्मदा बचाओ आन्दोलन के माध्यम से आकृष्ट किया गया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि छेक पंचाट के अनुरूप पुनर्वास सुनिश्चित करें।

बंगलौर मेडिकल्स ट्रस्ट बनाम बी० एम० मुडप्पा¹¹ के मामले में एक लोक उद्यान हेतु आरक्षित भूमि में बंगलौर विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति को अस्पताल निर्माण हेतु आवष्टित किए जाने के विरुद्ध उस इलाके के निवासियों द्वारा लोकहित वाद दायर किया गया। उच्चतम न्यायालय पिटीशन स्वीकार करते हुए कहा कि पारिस्थितिकी परिरक्षण हेतु खुला स्थान और उद्यान आवश्यक है।

सिटीजन्स ऑफ बूंदी बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड¹² के वाद में बूंदी के निवासियों द्वारा मनोरंजन हेतु खुली भूमि को निर्माण कार्य हेतु परिवर्तन करने के विरुद्ध लोकहित वाद दायर किया गया राजस्थान

उच्च न्यायालय ने आवासीय कालोनियों में खुले स्थान एवं उद्योगों की महत्ता को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि आवासीय क्षेत्र में मनोरंजन हेतु छोड़ी गयी भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए निर्माण हेतु भूमि के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

विनीत कुमार माथुर बनाम भारत संघ¹³ के वाद में एक लोकहित वाद यह आरोपित करते हुए संस्थित किया गया कि मोहन मोकिंग लिमिटेड डिस्टीलरी कम्पनी के बहिष्कार से गोमती नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया कि नियत समय के भीतर महिला उपचार संयंत्र की कमियों को दूर किया जाय। न्यायालय के आदेश के उल्लंघन की दशा में उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया कि चार माह के अन्तर्गत गोमती नदी सफाई से सम्बन्धित उद्देश्य हेतु 5 लाख रुपया न्यायालय में जमा किया जाय।

उपसंहार

लोकहित वाद विधिक सहायता क्रान्ति का एक हथियार है जिससे न्याय को गरीबों को पहुँच के भीतर किया जा सके। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के माध्यम से लोकहित वाद प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा किया जाना अभीष्ट है। लोकहित वाद पर्यावरण क्षति निवारण के क्षेत्र में काफी हद तक सहायक हुआ है।

संदर्भ सूची

1. ए0आई0आर0 1980 सु0को0 1633
2. ए0आई0आर0 1988 सु0को0 1115
3. ए0आई0आर0 1987 सु0को0 2187
4. रिट पिटिशन नं0 989 (1988)
5. 1996 एस0सी0ए0एल0ई0 41
6. ए0आई0आर0 1987 सु0को0 1087
7. ए0आई0आर0 1996, सु0को0 1446
8. ए0आई0आर0 1996, सु0को0 1446
9. (1996) 5 सु0को0 केसेज 647
10. (1998) 5 सु0को0 केसेज 586
11. (1991) 4 सु0को0 केसेज 54
12. ए0आई0आर0 1988 राजस्थान 132
13. (1996) 7 सु0को0 केसेज 714